HARYANA STATE COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS Bays no. 15-20, Sector-4, Haryana, Panchkula.

Advertisement.

Closing Date: - 15.07.2015.

Applications are invited for filling up the following posts under Haryana State Commission for Protection of Child Rights (HSCPCR).

The candidates should specify on the top of the envelope the name of the post applied

for.

Chairperson:- 1

Qualification & Experience

i) A person of eminence and has done outstanding work for promoting the welfare of children.

2. Members :- 6 (Out of which two reserved for women)

Qualification & Experience

A person of eminence, ability, integrity, standing and experience in,-

- i) Education;
- ii) Child Health, Care, Welfare of Child Development
- iii) Juvenile Justice or care of neglected or marginalised children of children with disabilities;
- iv) Elimination of child labour or children in distress;
- v) Child psychology or sociology; and
- vi) Laws relating to children.
 - Any person having past record of any violation of child rights or any rights related to child shall not be eligible for appointing as a Chairperson or Member of the State Commission for Protection of Child Rights.

Note:- Eligible candidates should submit their applications along with bio-data and relevatn documents on or before 15th July, 2015 at the address mentioned below.

Secretary (HSCPCR)-cum-Director Women & Child Development Department Bays No. 15-20, Sector-4, Haryana, Panchkula.

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बेज न. 15–20, सैक्टर–4, हरियाणा, पंचकूला। विज्ञापन।

अंतिम तिथि:- 15.07.2015

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में निम्नलिखित पदों को भरने हेतु आवेदन अमन्त्रित किये जाते है। आवेदनकर्ता द्वारा पद का नाम लिफाफे के उपरी भाग में लिखा जाना अनिवार्य है।

1. अध्यक्षः - 1

1शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:—
1. ऐसा व्यक्ति जो बाल विकास एवं संरक्षण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्षम हो एवं बाल संरक्षण क्षेत्र में श्रेष्ठता रखता हो।

2.. सदस्यः - (६ जिनमें दो पद केवल महिलाओं के लिए)

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवः—ः ऐसा व्यक्ति जो निम्न क्षेत्रों में अनुभव रखता हो।

1) शिक्षा।

- 2) बच्चों के स्वास्थ्य, देख-रेख, बाल विकास एवं कल्याण।
- 3) किशोर न्याय, उपेक्षित एवं निष्क्रिय बच्चों की देखरेख।

4) बाल मजदूरी का उन्मूलन।

- 5) बाल मनोविकास एवं समाज शास्त्र।
- 6) बच्चों से संबंधित कानून।
 - कोई भी व्यक्ति जिसका बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी भूतपूर्व रिकार्ड हुआ तो वह व्यक्ति राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयनित होने के योग्य नहीं होगा।

नोट:— योग्य आवेदक अपना आवेदन पत्र, जीवन वृतांत (बायोडाटा) एवं संबंधित दस्तावेजों सहित नीचे लिखे पते पर 15 जुलाई 2015 तक जमा करवाए।

> सचिव (एच एस सी पी सी आर)—कम— निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बेज न. 15—20, सैक्टर—4, हरियाणा, पंचकूला।